राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(ग्रामीण विकास, अनुभाग–8)

(ईमेल आईडी **pdme2k.rdd@rajasthan.gov.in** फोन न. 0141–2227229)

क्रमांक :– एफ 2(3)ग्रावि/ग्रुप–8/समीक्षा बैठक/भ्रमण/2015 जयपुर, दिनांक: 26 FEB 2020

बैठक कार्यवाही विवरण

माननीय उप मुख्य मंत्री महोदय द्वारा दिनांक 16.01.2020 को ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग की संचालित विभिन्न योजनाओं के कार्यकलापों की विस्तृत समीक्षा की गई। समीक्षा बैठक में विभाग के सभी संबंधित अधिकारी उपस्थित थे। विभागीय योजनाओं की प्रगति समीक्षा एवं निर्देश निम्नानुसार हैं:–

1. महात्मा गांधी नरेगा

- महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत 3000 लाख (30 करोड़) वर्ष 2019–20 में स्वीकृत श्रम बजट के विरूद्ध 26.99 करोड़ मानव दिवस का सृजन किया जा चुका है, जो लगभग 90 प्रतिशत उपलब्धि अर्जित कर ली गयी है। आगामी अंतिम तिमाही में शत–प्रतिशत उपलब्धि आर्जित करने के निरन्तर प्रयास किया जा रहे हैं। माननीय उप मुख्य मंत्री महोदय द्वारा विभाग स्तर पर महात्मा गांधी नरेगा की क्रियान्विति एवं मॉनिटरिंग की प्रशंसा की। भारत सरकार से सामग्री मद की राशि प्राप्त नहीं हो रही है, इस हेतु भारत सरकार से निरन्तर पत्राचार भी किये जा रहे हैं।
- ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा राजस्थान राज्य को महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत विभिन्न गतिविधियों में 4 पुरूस्कार प्रदान किये गये हैं। कोटा जिले को प्रदेश में महात्मा गांधी नरेगा के सफल क्रियान्वयन हेतु पुरूस्कृत किया गया, डूंगरपुर में सागवाड़ा पंचायत समिति की ग्राम पंचायत आरा को Geo Taging हेतु देश का द्वितीय पुरूस्कार दिया गया। भीलवाड़ा में आसीन्द ब्लॉक की पंचायत समिति समिति की ग्राम पंचायत मोतीपुरा को आधारभूत ढांचा विकास एवं जलसंरक्षण ढांचा निर्माण के लिए देश का तृतीय पुरूस्कार दिया। जैसलमेर जिले के ब्लॉक सम की ग्राम पंचायत हरनाऊ को महात्मा गांधी नरेगा के सर्वश्रेष्ठ क्रियान्वयन हेतु 7वां पुरूस्कार प्राप्त हुआ हैं।
- महात्मा गांधी नरेगा से जुड़े सभी अधिकारी, कर्मचारी एवं अभियन्ताओं के अच्छे कार्य हेतु माननीय उप मुख्य मंत्री महोदय द्वारा प्रशंसा की एवं सभी को बधाई देते हुए धन्यवाद ज्ञापित किया गया।

- महात्मा गांधी नरेगा में श्रम मद में रूपये 961 करोड़ एवं सामग्री मद में रूपये 1233 करोड का भुगतान दायित्व राशि के अभाव में बकाया है। सामग्री राशि के अभाव में 20 जुलाई 2019 से बिल बाऊचर भुगतान हेतु लम्बित हैं। महात्मा गांधी नरेगा में औसत दैनिक मजदूरी दर में वृद्धि करने के निरन्तर प्रयास किय जा रहे हैं। अजमेर, बारां, जोधपुर, डूंगरपुर एवं जयपुर में मजदूरी दर अपेक्षाकृत अन्य जिलों की तुलना में कम है। औसत मजदूरी दर के संबंध में निरन्तर प्रयास करने के निर्देश दिये।

2. प्रधान मंत्री आवास योजना–ग्रामीण

- प्रधान मंत्री आवास योजना–ग्रामीण में चालू वित्तीय वर्ष में योजनान्तर्गत 3.64 लाख आवासों का लक्ष्य प्राप्त हुआ है, जिसके विरूद्ध 3.63 लाख आवासों की स्वीकृति जारी की जा चुकी है। 3.44 लाख आवासों को प्रथम एवं 1.88 लाख आवासों को द्वितीय किश्त का भुगतान किया जा चुका है। गत वर्षों में स्वीकृत 6.87 लाख आवासों के विरूद्ध 6.58 लाख आवास पूर्ण करा लिये गये हैं। शेष आवासों का कार्य प्रगति पर है।
- प्रधान मंत्री आवास योजना–ग्रामीण में भी राजस्थान राज्य को 4 पुरूस्कार प्राप्त हुए हैं, जिसमें सर्वाधिक आवास पूर्ण करने वाले राज्यों में राजस्थान को प्रथम पुरूस्कार एवं पंचायत समिति घाटोल को देश के सभी पंचायत समितियों में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है।
- ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत अजीतपुरा पंचायत समिति भादरा जिला हनुमानगढ़ एवं सरपंच ग्राम पंचायत रेटा पंचायत समिति झूतरी जिला डूंगरपुर को भी प्रधान मंत्री आवास योजना–ग्रामीण में पुरूस्कार प्राप्त हुआ है।

3. स्वच्छ भारत मिशन

- स्वच्छ भारत मिशन योजनान्तर्गत राज्य में 57 लाख शौचालयों को प्रोत्साहन राशि का भुगतान किया जाना था। अब कुल 1.68 लाख शौचालयों का भुगतान ही बकाया है। माह जनवरी 2020 के अंत तक समस्त बकाया भुगतान के निर्देश दिये गये हैं।
- बेस लाईन सर्वे 2012 से छूटे 3.39 लाख LOB परिवारों में से 2.28 लाख परिवारों को शौचालय का भुगतान कर दिया गया है। शेष 1.11 लाख शौचालयों का बकाया भुगतान इसी माह के अन्त तक करने के प्रयास किये जा रहे हैं।
- 64778 स्वच्छागृहियों के लक्ष्य के विरूद्ध 46641 स्वच्छागृहियों को प्रशिक्षित किया जा चुका है। इसके माध्यम से राज्य में स्वच्छता की निरन्तरता को बनाये रखने के प्रयास किया जा रहे हैं।

- सामुदायिक स्वच्छता परिसरों (CHC) का 9894 का लक्ष्य निर्धारित है, इन लक्ष्यों की पूर्ती के निरन्तर प्रयास किये जा रहे हैं।
- LOB से वंचित परिवारों के नाम NOLB शौचालय निर्माण में कोई भी परिवार नहीं छूटे के नाम जोड़े जा रहे हैं। ऐसे 5.20 लाख परिवार हैं, जिसके विरूद्ध 2.82 लाख परिवारों का पंजीकरण किया जा चुका है। स्वच्छ भारत मिशन की गतिविधियां भी भारत सरकार के दिशा निर्देशानुसार संचालित हैं।

4. ग्रामीण विकास योजनाऐं

- ग्रामीण विकास योजनाओं एमपी, एमएलए, डांग, मगरा, मेवात, बीएडीपी, स्वविवेक, गुरू गोलवलकर जनभागीदारी विकास आदि में उपलब्ध राशि रूपये 2993.00 करोड़ के विरूद्ध माह दिसम्बर 2019 तक रूपये 848.88 करोड़ व्यय कर 28.36 प्रतिशत की उपलब्धि अर्जित की गयी है। माननीय उप मुख्य मंत्री महोदय द्वारा प्रगति कम रहने को गंभीरता से लिया एवं संबंधित अधिकारियों को प्रगति अर्जित करने हेतु निरन्तर विशेष प्रयास करने के निर्देश दिये।

5. श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन

- श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन योजनाओं में कुल रूपये 1373.43 करोड़ की परियोजना लागत राज्य के 13 जिलों के 15 क्लस्टर्स की डीपीआर भारत सरकार द्वारा अनुमोदित की है, इसमें 443 करोड़ रूपये सीजीएफ मद से व्यय किया जाना प्रस्तावित है, शेष 1028.43 करोड़ रूपये कन्वर्जेंस से व्यय किया जायेगा। योजनान्तर्गत माह दिसम्बर 2019 में रूपये 22.42 करोड़ सीजीएफ मद से व्यय हुआ है। इस योजना में 31 मार्च 2020 तक सीजीएफ मद की समस्त राशि 345 करोड़ रूपये व्यय किये जाने के निर्देश हैं। प्रगति में वृद्धि करने हेतु निरन्तर प्रयास करने के निर्देश दिये गये।

6. पंचायतीराज योजनाऐं

पंचायत समिति भवन

- नवसृजित पंचायत समिति भवन निर्माण के प्रगतिरत 19 कार्यों को पूर्ण करने की कार्यवाही त्वरित की जाये एवं पंचायत समिति बांसवाड़ा के भवन निर्माण हेतु भूमि आवंटन की कार्यवाही को प्राथमिकता से पूर्ण करवाया जाये।

ग्राम पंचायत भवन

- नवसृजित ग्राम पंचायत भवन निर्माण के प्रगतिरत 264 कार्यों को शीघ्र पूर्ण कराने, भूमि आवंटन हेतु 39 प्रकरणों में त्वरित कार्यवाही करने, प्रारंभ नहीं 11 कार्यों को शीध्र प्रारंभ करने की कार्यवाही की जाये। जो कार्य वर्तमान में रूफटॉप से अधिक प्रगति पर हैं, उनको आगामी 2 माह में पूर्ण करवाया जाये।

आंगनबाड़ी

- मिशन मोड योजना में आंगनबाड़ियों के प्रगतिरत 8 कार्यों को दिनांक 31.3.2020 तक पूर्ण करवाया जाये, अप्रारंभ/निरस्त कार्यों की राशि संबंधित विभाग को लौटाते हुए दिनांक 31.3.2020 इस परियोजना को क्लोज किया जाये।

किसान सेवा केन्द्र

- RIDF-17 में स्वीकृत किसान सेवा केन्द्रों में से प्रगतिरत 8 कार्यों को दिनांक 31.3.2020 तक पूर्ण करवाया जाये एवं अप्रारंभ/निरस्त कार्यों की पूर्ण राशि कृषि विभाग को लौटाई जाकर इस परियोजना को बंद किया जाये।
- RIDF 19-20 में स्वीकृत किसान सेवा केन्द्रों में से प्रगतिरत 59 कार्यों को दिनांक 31.3.2020 तक पूर्ण करवाया जाये एवं 221 अप्रारंभ/निरस्त कार्यों की पूर्ण राशि कृषि विभाग को लौटाई जाकर दिनांक 31.3.2020 तक इस परियोजना को क्लोज किया जाये।

राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान

- RGSA योजना की प्रगति में वर्ष 2018–19 में स्वीकृत गतिविधियों की प्रगति मात्र 15.9 प्रतिशत है, वर्ष 2019–20 की अनुमोदित परियोजना की राशि प्राप्त नहीं हो सकी है। अतः अतिरिक्त मुख्य सचिव महोदय के स्तर पर तत्काल इसकी समीक्षा की जाये एवं यह सुनिश्चित किया जाये कि वर्ष 2019–20 की प्रावधित राशि भारत सरकार से प्राप्त हो सके।

7. राज्य/केन्द्रीय वित्त आयोग

- राज्य वित्त आयोग पंचम एवं केन्द्रीय वित्त आयोग (14वां) में उपलब्ध करवायी गई राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र व कार्यों का विवरण जिलो से लेने हेतु निर्देशित किया गया।

- यह सुनिश्चित किया जाये कि दिनांक 1.4.2020 से प्रारंभ होने वाली एसएफसी–VI एवं 15वें वित्त आयोग में प्राप्त राशि का पूर्ण सदुपयोग हो, पूर्ण पारदर्शिता बनी रहे एवं व्यय होने वाली राशि की पूर्ण जानकारी आम जनता को हो। संपूर्ण कार्यवाही ऑनलाईन व्यवस्थित हो।

अन्य बिन्दु–

- राजीव गांधी सेवा केन्द्रों पर कार्यरत सुरक्षा गार्डों को जिलों में नियमानुसार समान राशि प्राप्त हो सके, यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिये गये।
- सौलर लाईट क्रय के संबंध में विगत 5–7 वर्षों में हुई प्रक्रिया की संपूर्ण जानकारी/प्रगति से अवगत करवाया गया एवं यह स्पष्ट किया गया कि विभागीय आदेश दिनांक 27.09.2018 के अनुसार सौलर लाईट क्रय करना दिनांक 31.3.2019 तक ही अनुमत था। विस्तृत चर्चा के उपरांत यह निर्णय लिया गया कि अतिरिक्त मुख्य सचिव महोदय के स्तर पर तत्काल एक बैठक आयोजित की जाये एवं इस विषय से जुड़े हुए प्रत्येक पहलू पर विस्तार से चर्चा कर पूर्ण प्रस्ताव माननीय उप मुख्य मंत्री महोदय को प्रस्तुत किया जाये। साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जाये कि किसी भी प्रकार की वित्तीय अनियमितता एवं विभागीय निर्देशों की अवहेलना नहीं हो और विभागीय निर्देशों की अवहेलना पाये जाने पर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाये।
- बजट घोषणा में बनने वाले अम्बेडकर भवन का मानचित्र पुनः तैयार करवाया जाये। अम्बेडकर भवन का मानचित्र आधुनिक सुविधा वाला व आकर्षक एवं सुन्दर होना चाहिए, ऐसा मानचित्र तैयार करने हेतु निर्देशित किया गया।

बैठक सधन्यवाद समाप्त की गयी।

(हितबल्लभ शर्मा) 26/02/2020
परि. निदे. एवं पदेन उप सचिव
(मो. एवं मू.)

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ प्रेषित है :–

1. विशिष्ठ सहायक, माननीय उपमुख्य मंत्री महोदय ग्रा.वि. एवं पंचायती राज विभाग।
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्रा.वि. एवं पंचायती राज विभाग।

प्रतिलिपि निम्न को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. निजी सचिव, स्टेट मिशन निदेशक, स्वयं सहायता समूह एवं आजीविका परियोजनाऐं।
2. निजी सचिव, विशिष्ठ शासन सचिव एवं निदेशक, पंचायती राज।
3. निजी सचिव आयुक्त, महात्मा गांधी नरेगा।
4. निजी सचिव, निदेशक, स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण), पंचायतीराज विभाग।
5. निजी सचिव, विशिष्ठ शासन सचिव, ग्रामीण विकास।
6. आयुक्त, जलग्रहण विकास एवं भू–संरक्षण विभाग।
7. अति0 आयुक्त–ा ईजीएस, ग्रावि।
8. निदेशक, सामाजिक अंकेक्षण।
9. अतिरिक्त आयुक्त एवं संयुक्त शासन सचिव (प्रथम, द्वितीय, तृतीय), पंचायतीराज।
10. परियोजना निदेशक एवं संयुक्त सचिव, महात्मा गांधी नरेगा।
11. उपायुक्त एवं संयुक्त सचिव (प्रथम/द्वितीय), पंचायतीराज।
12. संयुक्त शासन सचिव (प्रशासन), ग्रामीण विकास।
13. वित्तीय सलाहकार, ग्रामीण विकास/पंचायतीराज/महात्मा गांधी नरेगा।
14. परियोजना निदेशक (एलपी एण्ड एसएचजी),राजीविका।
15. परियोजना निदेशक एवं उप सचिव, एसएपी/मोएवंमू।
16. स्टेट नोडल अधिकारी, प्रधान मंत्री आवास योजना–ग्रामीण।
17. अधीक्षण अभियन्ता, ग्रामीण विकास/ईजीएस/पंचायतीराज।
18. संयुक्त शासन सचिव (आयोजना), पंचायतीराज।
19. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, बायोफ्यूल प्राधिकरण।
20. संयुक्त निदेशक (मोनिटरिंग), पंचायतीराज।
21. एसीपी/प्रोग्रामर, ग्रामीण विकास विभाग को पत्र विभागीय वेबसाइट www.rdprd.gov.in पर अपलोड करने हेतु।

26/02/2020

परि. निदे. एवं पदेन उप सचिव
(मो. एवं मू.)